वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 08.05.2025

भाजपा के पूर्व पार्षद समेत 10 के व्यावसायिक निर्माण सील

वाराणसी। नेवादा वार्ड के भाजपा के पूर्व पार्षद विनीत सिंह समेत 10 व्यावसायिक निर्माणों को वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने सील कराया। उन्होंने बुधवार को नगवां वार्ड के भिखारीपुर से चितईपुर मार्ग का निरीक्षण किया। कई छोटे बड़े आवासीय, व्यावसायिक नव निर्माणों को गलत तरीके से गतिमान पाया।

निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर 10 अवैध निर्माण को मौके पर सील कराया। बताया कि भाजपा के पूर्व पार्षद का नेवादा में दो तल का व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था। चितईपुर में शैलेश भारती का व्यावसायिक निर्माण, अनिल नगर कॉलोनी चितईपुर में वाचस्पति उपाध्याय की ओर से तीन तल का मल्टी यूनिट निर्माण, अनिल नगर कॉलोनी में जेपी सिंह की ओर से तीन तलों का मल्टी यूनिट निर्माण, विजयेंद्र पुरम कॉलोनी में परमानंद गिरी की ओर से दो तल का मल्टी यूनिट निर्माण कराया जा रहा था। ककरमत्ता में राजकुमार वर्मा की ओर से तीन तल का होटल निर्माण, भिखारीपुर में राजेंद्र प्रसाद और सुरेंद्र प्रसाद की ओर से व्यावसायिक निर्माण, भिखारीपुर में आशा की ओर से व्यावसायिक निर्माण, कंचनपुर में प्रत्यक्ष डेवलपर अविनाश उपाध्याय, कंचनपुर में कुंदन कन्नौजिया की ओर से तीन तलों का व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। वरुणा पुल के पास संगीता जायसवाल की ओर से दो तल का अनधिकृत निर्माण हो रहा था। दोनों अवैध निर्माणों को सील किया गया। दनपुरा में ओनैदुल रहमान, अबुताहिर, अहमद साबिर की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे सील किया गया। ब्यूरो

मानचित्र के विपरीत काम कराने पर हुई कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को सिकरौल वार्ड में तीन अवैध निर्माण सील किए गए। बुद्ध विहार कॉलोनी में विकास जायसवाल की ओर से निर्माण कराया गया। जिस पर नोटिस दिया गया था। बावजूद काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस को सौंपा गया। अरुण तिवारी की ओर से दो तल का स्वीकृत करवाकर चार का निर्माण कराने पर नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी काम हो रहा था। अवैध निर्माण सील कर संबंधित थाने को सौंपा गया। कॉलोनी के ही मोहित पाल की ओर से मानचित्र के विपरीत निर्माण कराने पर नोटिस दिया गया। बावजूद काम जारी रखने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस को सौंपा गया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार की देखरेख में कार्रवाई हुई। उधर, ओम नगर कॉलोनी में अभिषेक मौर्या की ओर से निर्माण के बाद फिनिशिंग कराई जा रही थी। अवैध निर्माण सील कर थाने को सौंपा गया। ब्यूरो

शमन शुल्क जमा नहीं करने वालों के निर्माण होंगे ध्वस्त

वाराणसी। शमन शुल्क जमा नहीं करने वालों के अवैध निर्माण ध्वस्त कराए जाएंगे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की ओर से जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्रों की समीक्षा कर लें। जिन्होंने शमन शुल्क जमा नहीं किया है, उनकी सूची बना लें। शुल्क जमा कराएं। ऐसा नहीं करने वालों के अवैध निर्माण ध्वस्त कराएं। सील प्रकरणों की जांच और बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 08.05.2025

तीन मंजिल का नक्शा पास और पांच का निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बुधवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि सिकरौल वार्ड के बुद्ध विहार कालोनी में विकास जायसवाल ने बेसमेंट के अलावा तीन मंजिल नक्शा पास कराया है लेकिन मौके पर पांच मंजिल अवैध निर्माण पाया गया। इसी कालोनी में अरुण तिवारी बेसमेंट के अलावा तीन मंजिल का नक्शा पास कराएं हैं लेकिन मौके पर बेसमेंट के अलावा पांच मंजिल अवैध निर्माण मिला। इसके अलावा मोहित जिबोध पाल ने तीन मंजिल नक्शा पास कराया है लेकिन मौके पर बेसमेंट निर्माण अतिरिक्त पाया गया। तीन निर्माण सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

दैनिक जागरण–दि0 08.05.2025

आवासीय नक्शा पास कराकर हो रहा था व्यावसायिक निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा जोन चार के नगवां वार्ड में खुद निकल पड़े। मुख्य मार्ग पर आवासीय नक्शा पास कराकर होटल, कांप्लेक्स और व्यवसायिक निर्माण करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर अवर अभियंता, सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से जवाब-तलब करने के साथ जोनल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी का निर्देश दिया। क्षेत्र के सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। कई सील भवन में भी निर्माण जारी है।

शिकायत मिली थी कि भिखारीपुर तिराहे से चितईपुर मार्ग पर कई व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। दोपहर में जोनल अधिकारी संजीव कुमार के साथ पूरी टीम लेकर क्षेत्र में निकल पड़े। सचिव ने बताया कि नगवां वार्ड के ककरमत्ता में राजकुमार वर्मा बेसमेंट के अलावा चार मंजिल होटल का निर्माण कर रहे थे। भिखारीपुर में राजेन्द्र प्रसाद व सुरेन्द्र प्रसाद, आशा सोनेजा, प्रत्यक्ष डेवलपर अविनाश उपाध्याय, कंचनपुर में कुंदन कन्नौजिया, चितईपुर नेवादा में विनीत सिंह, चितईपुर में शैलेश भारती व वाचस्पति उपाध्याय, अनिल नगर कालोनी में जेपी सिंह और विरेंद्रपुरम कालोनी में परमानन्द गिरि चार से पांच मंजिल अवैध निर्माण कर रहे थे। वार्ड के अवर अभियंता आदर्श निराला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

आज–दि0 08.05.2025

अवैध निर्माणको लेकर विप्रा सचिव खफा

भिखारीपुर क्षेत्रमें बिना मानचित्र स्वीकृतके मिले दस भवन

विकास प्राधिकरणके सचिव डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रने बुधवारको नगवां वार्डके भिखारीपुर-चितईपुर मार्गपर निर्माण कार्योंका औचक निरीक्षण किया। लगभग एक दर्जन निर्माणोंको बिना मानचित्रके बनते देख उन्होंने जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ताको लताड़ लगाते हुए दस निर्माणोंको सील किया। नगवांके भवन स्वामी राजकुमार तीन तलेका मकान बना रहे थे। इसी प्रकार भिखारीपुरके राजेन्द्र प्रसाद बिना मानचित्र पास कराये भवन का निर्माण करा रहे थे। यहींपर आशा टोनेजा और कंचनपुरके अविनाश उपाध्याय, कंचनपुरके कुन्दन कन्नौजिया, नेवादाके विनीत सिंह भूतपूर्व पार्षदने बिना मानचित्र पास कराये व्यावसायिक भवनका निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार शैलेष भारती नगवा वार्डके ये भी व्यावसायिक भवनका निर्माण करा रहे थे। वाचस्पति उपाध्याय तीन तलेका मल्टी यूनिटका निर्माण करा रहे थे। जेपी सिंह ये भी मल्टी यूनिटका कार्य करा रहे थे। भवन स्वामी परमानन्द गिरि भिखारीपुर कलाके दो तलेका मल्टी यूनिटका निर्माण करा रहे थे। क्षेत्रीय जोनल अधिकारीके निर्देश अवर अभियन्ता, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दलके कर्मचारी मकानमें चल रहे कार्यको बन्द कराया और कारीगरोंको भगा दिया। इसके बाद दसों मकानोंको सीलकर क्षेत्रीय थानेकी अभिरक्षामें सौंप दिया गया।

इसी प्रकार वार्ड सारनाथमें भवन स्वामी अभिषेक मौर्या बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवनका निर्माण कार्य कर रहे थे। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियन्ता विनोद कुमार, प्रवर्तन दलकी टीमने भवनको सील करनेके बाद निकटम थानेकी अभिरक्षामें सौंप दिया।

चार नवनिर्मित भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को सिकरौल वार्ड में तीन और दशाश्वमेध में एक मकान को मानचित्र न होने पर सील किया गया। सिकरौल वार्ड में बुद्ध बिहार कालोनी में भवन स्वामी विकास जायसवाल ने दो तल की मानचित्र स्वीकृत कराकर चार तल का भवन निर्माण करा रहे थे यहीं पर अरुण तिवारी ने भी दो तल का मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद चौथे मंजिल का निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी वार्ड में मोहित जिबोध पाल तीन तल का मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन में मानचित्र के विरुद्ध कार्य करा रहे थे मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, क्षेत्र के सुपरवाइजर मौके पर पहुंचकर तीनों भवनों में कार्य कर रहे मजदूरों को भगा दिया और भवन को सीज करने के बाद निकटतम थाने की अभीरक्षा में सौंप दिया। इसी प्रकार वार्ड दशाश्वमेध के मदनपुरा क्षेत्र में डी.३२२ ओनैदुल रहमान बिना मानचित्र स्वीकृत कराये पांच तल का बनवा रहे थे। मौके पर पहुंचे अभियंताओं को उन्होंने मानचित्र दिखाने से मना कर दिया। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश, सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल ने यहां भी कार्यरत कारीगरों को भगाने के बाद मकान का निर्माण सील कर दिया और उसके बाद निकतटम थाने की अभिरक्षा में इसे सौंप दिया।

आज–दि0 08.05.2025

विप्रा प्रत्येक चौराहोंको कलाकृतियोंसे करेगा आकर्षक

विकास प्राधिकरण वाराणसी के चौक चौराहों को आकर्षित बनाने के लिए कला की चमक निखारेगा। जिसमें की कुछ स्थानीय विरासत की चीजें भी कलाकृतों के माध्यम से लगायी जायेगी ताकि बाहर से आ रहे पर्यटन के लोग आकर्षित हो सके। इसके लिए विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के अनुसार बीएलडब्ल्यू के रेल मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय से संयुक्त प्रयास से शहर के सौंदरीकरण में चार चांद लगाये जायेंगे जिसमें ६२ स्कल्पचर और ३५ कलाकृति लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा २७ स्कल्पचर अपने निर्धारित स्थानों पर लगेंगी। शहर के सड़कों और चौराहों पर अलग-अलग रूप में कलाकृतियां लगायी जायेगी जिससे कि लोगों को पर्यावरण के मामले में संरक्षण दे सकें। स्कल्पचर में महिला शक्तिकरण, योग, खेल, मिलेट्स, हस्तशिल्प,

पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कलाकृतियां लगायी जायेंगी। प्रमुख स्थानों पर लगने वाले स्कल्पचर में प्रमुख स्थानों पर ३५ स्कल्पचर लगाये जायेंगे। जिसमें मैदागिन पर नंदी और कैण्ट स्टेशन पर वनस्पती जैसी कलाकृतियां लगायी जायेंगी, वहीं बाक्सींग क्रिकेट हरहुआ चौराहे पर लगेगा, कुछ जल्दी लगने वाले स्कल्पचर वाले में से लस्सीवाला, योगात्मा दर्शन, भविष्य निर्माण, नटराज, घाट पर साइबेरियन, त्र्यंबकम, गुब्बारे व पतंग के साथ बच्चे, गंगा घाट आरती, टाईगर, कुश्ती, म्युजिकल, चंद्रयान जैसी स्कल्पचर लगाये जायेंगे। इन कलाकृतियों के लगने पर बाहर से आने वाले पर्यटक बहुत से देखेंगे और इसके साथ ही उनको विभिन्न पर्यटल स्थल का भी कलाकृतियों से बहुत खुब सीखने को मिलेगा। विप्रा उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक मुल्यों को यह कलाकृतियां उजागर करेंगी।

हिन्दुस्तान–दि0 08.05.2025

वीडीए ने 16 अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चितईपुर में पार्षद पति के तीन मंजिल अवैध निर्माण समेत 16 निर्माण सील किए गए। इनमें ककरमत्ता में तीन मंजिल होटल भी शामिल है।

सिकरौल स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी में तीन मंजिल के दो भवनों को सील किया गया। मदनपुरा में छह मंजिल भवन, रमदत्तपुर, ओमनगर कॉलोनी के लेन नं 4 में 700 वर्गमीटर क्षेत्रफल में तीन मंजिल भवन, नदेसर में 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में चार मंजिल भवन, वरुणा पुल के पास तीन मंजिल भवन सील किया गया। इसके अलावा वीडीए सचिव डॉ, वेदप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने दस अवैध निर्माण सील किए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स—दि0 08.05.2025

चौक-चौराहों पर उभर रही है कला की चमक

मनमोहक

विरासत से जुड़ रही है काशी की पहचान, स्टोन, फाइबर और मेटल से बनी कलाकृतियां

वाराणसी। शहर के चौक चौराहों पर इन दिनों कला की चमक उभर रही हैं। वीडीए, बीएलडब्लू, रेल और संस्कृतिक मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से सौंदर्यीकरण की दिशा में जहां अभिनव पहल किया जा रहा है, वहीं विरासत से काशी की पहचान जुड़ रही हैं। इस परियोजना के तहत कुल 62 अद्वितीय स्कल्पचर शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। जिनमें से 35 कलाकृतियां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं,

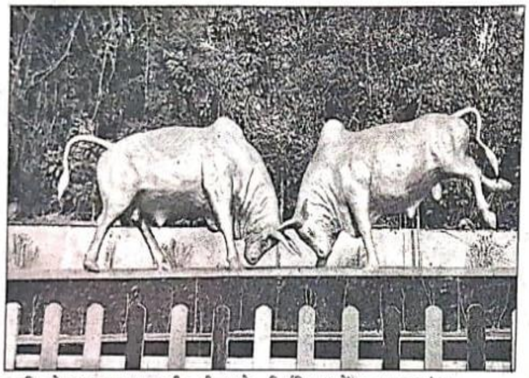

जबकि शेष 27 स्कल्पचर शीघ्र ही अपने निर्धारित स्थानों पर लगाए जाएंगा।

प्रमुख स्थानों पर स्थापित कुछ उल्लेखनीय स्कल्पचर

ट्रांस्फॉर्टिमेटिव आर्ट ऑफ वोडेन टॉय-एयरपोर्ट के अंदर,पीकॉक-एयरपोर्ट परिसर, कत्थक नृत्यं-एयरपोर्ट क्रासिंग, तेजस-एयरपोर्ट क्रासिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जैवलिन थ्रो -हरहुआ चौराहा, बोधि वृक्ष-संदहा चौराहा, अटल चौक, अग्नि स्तंभ आसन-भोजूबीर चौराहा, वाराणसी के घाट-सर्किट हाउस, ग्लोबल वाराणसी-सर्किट हाउस, सन फ्लावर्स-वीडीए परिसर, कारपेट वीवर-चौकाघाट, अभिकल्पना-निफ्टी, नया कैंपस, रुद्रास विथ हैंड-रुद्राक्ष कन्वेंशन सेण्टर, लायन-आजमगढ़, रिंग रोड चौराहा, लायन-आजमगढ़ रिंग रोड जंक्शन, मदर चाइल्ड-जिला महिला अस्पताल, मछलियां-बुद्धिस्ट पार्क के सामने, सारनाथ, डियर धर्मचक्र-गणपति तिराहा, एंट्री फॉर इटरनल लाइफ-सारनाथ, धर्म पाल रोड, गुरु शिष्य परंपरा-सारनाथ चौराहा, गिरजाघर-लाल गिरजा के पास, शिलाकृति-रामनगर टेंगड़ा मोड, बच्चो का पानी में खेलना-बेनियाबाग पार्क, ज्ञान-सेंट्रल लाइब्रेरी, बीएचयू, नव्य भारत-स्वतंत्रता भवन बीएचयू, इटर्नल जर्नी-संत रविदास संपर्क पार्क, क्रिकेटर-वाराणसी प्रयागराज जंक्शन, रिंग रोड,शीर्षासन-लहुराबीर चौराहा, वनस्पति-कैंट रेलवे स्टेशन, पैरा ओलंपिक-सिगरा स्टेडियम, एनसीओई ब्लाक, योगा विद फोल्डेड हैंड्स डा. अंबेडकर, बुल फाइटिंग-मंडुआडीह रोड, प्रभात वचन-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, कार्पेट मेकर्स-ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, बैठे नंदी-मैदागिन चौराहाआदि स्थानों पर इसे लगाया गया है।

रीयूज और रीसायकल का संदेश

शहर की सड़कों, चौराहो और विभिन्न प्रमुख स्थानों पर इन स्कल्पचर के जरिए स्थानीय पहचान को कलात्मक स्वरूप दिया गया है। ये कलाकृतिया स्क्रैप से तैयार की गई हैं। जो न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं बल्कि यह दिखाती हैं कि अनुपयोगी समझी जाने वाली वस्तुएं भी रचनात्मकता के साथ उपयोगी और खूबसूरत बन सकती हैं। इन स्कल्पचर में महिला सशक्तिकरण, योग और खेल को बेहतर ढंग से दर्शाया गया है, वही मिलेट्स, हस्तशिल्प, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों को समाहित किया गया है। हर मूर्ति अपने स्थान विशेष के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। जिससे काशी भ्रमण पर आने वाले पर्यटक उस क्षेत्र की विशेषता को बिना किसी गाइड के समझ सकते हैं।

स्थानीय संस्कृति की झलक और भविष्य की योजनाएं

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया है कि इस योजना के तहत शहर के 62 स्थलों पर स्टोन, फाइबर और मेटल से बनी कलाकृतिया लगाई जा रही हैं। इनमें से 27 स्थानों पर जल्द ही स्कल्पचर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लैंडस्केपिंग,हरियाली सौंदर्यीकरण के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है और रात्रि प्रकाश की विशेष व्यवस्था भी होगी। जिससे शहर के इन कलाकृतियो को बेहतर ढंग से देखा जा सके।

जल्द ही लगने वाले कुछ स्कल्पचर

लस्सी वाला, योगआत्म दर्शन, भविष्य निर्माण की बाधाओं को दूर करना, नटराज एवं 8 इंडियन क्लासिकल नृत्यांगना, देश प्रेम, घाट पर साइबेरियन बर्ड्स, लट्टू हस्तशिल्पी के साथ, त्र्यम्बकं, नंदी, गुब्बारों और पतंग के साथ बच्चे, मिलेट्स, वीफॉर वाराणसी, जर्नी ऑफ दी फ्यूचर, गंगा घाट आरती, जर्नी ऑफ फ्यूचर, हॉर्नबिल ऑन कदम ट्री, टाइगर, कुस्ती, स्टील बाल, अश्व, स्टैंडिंग नंदी, तीरंदाजी, हॉकी-फूटबाल, कलाकृति, कीर्ति स्तम्भ, डियर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चंद्रयान आदि लगाया जाएगा। इन सभी स्कल्पचर से काशी का नही सौंदर्य निखार रहा है बल्कि शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को भी उजागर हो रहा है। इन स्कल्पचर के माध्यम से कबाड़ को कला का रूप देकर पुनः उपयोग में लाने की प्रेरणा मिल रही है। जो सतत विकास की दिशा में एक अहम कदम है।

न्यायाधीश—दि0 08.05.2025

वाविप्रा जोन-3 में की गई अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा जोन-03 वार्ड-दशाश्वमेध में द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।।वार्ड-दशाश्वमेध, मदनपुरा , भवन संख्या- डी0/322 के अन्तर्गत ओनैदुल रहमान, अबुताहिर, अहमद साबिर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जी+5 तालों का अवैध निर्माण किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक-07/05/2025 को सील किया गया । मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 08.05.2025

वाविप्रा जोन-1 ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। सील बंद कराये गये निर्माणों का विवरण निम्नवत हैः वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत ओमकार प्रसाद पाण्डेय, द्वारा मौजा- नदेसर, वार्ड-सिकरौल, वाराणसी में लगभग 300 वर्गमीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+3 तल का निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत संगीता जायसवाल, द्वारा मौजा-वरुणा पुल के पश्चिम, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 100 30 वर्गफिट के भूमि क्षेत्रफल जी+2 तलों अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 08.05.2025

सचिव वाविप्रा ने जोन-4 के निरीक्षणोंपरान्त धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए 10 निर्माणों को मौके पर किया सील

वाराणसी।सचिव वीडीए डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-4, वार्ड-नगवां में भिखारीपुर-चितईपुर मार्ग का स्थलीय निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान जोनल अधिकरी संजीव कुमार व अवर अभियंता आदर्श निराला उपस्थित थे। क्षेत्रीय निरिक्षण के दौरान कई छोटे बड़े आवासीय/व्यावसायिक नव निर्माणों को मौके पर गतिमान पाया गया। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए 10 निर्माणों को मौके पर सील किया गया। . राजकुमार वर्मा, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड नगवां, वाराणसी में (बी+जी+ 3) तलों का होटल निर्माण। . राजेन्द्र प्रसाद व सुरेन्द्र प्रसाद, मौजा-भिखरीपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में तलों का व्यावसायिक निर्माण। . आशा सोनेजा, मौजा-भिखारीपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में व्यावसायिक निर्माण . प्रत्यक्ष डेवलपर अविनाश उपाध्याय, मौजा-कंचनपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में क्षेत्र में स्टिल्ट+4 तलों का व्यावसायिक निर्माण/आवासीय। कुन्दन कननैजिया, मौजा-कंचनपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में क्षेत्र में जी+3 तलों का व्यावसायिक निर्माण। . विनित सिंह (पार्षद), मौजा-नेवादा, चितईपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में क्षेत्र में बी+ जी+2 तलों का व्यावसायिक निर्माण। शैलेश भारती, मौजा-चितईपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में क्षेत्र में बी+ जी+1 तलों का व्यावसायिक निर्माण। वाचस्पति उपाध्याय, मौजा-अनिल नगर कालोनी, चितईपुर, वार्ड-नगवां, वाराणसी में क्षेत्र में जी+3 तलों का मल्टीयुनीट निर्माण। जे0पी0 सिंह,मौजा-अनिल नगर कालोनी, चितईपुर, वार्ड-नगवां,वाराणसी में क्षेत्र में जी+3 तलों का मल्टीयुनीट निर्माण। परमानन्द गिरि वगैरह, मौजा-विरेन्द्रपुरम कालोनी, भिखारीपुर कला, वाराणसी क्षेत्र में जी+2 तलों का मल्टीयुनीट निर्माण। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 08.05.2025

वाविप्रा जोन-01 वार्ड-सिकरौल में कुल 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 वार्ड-सिकरौल में कुल 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत विकास जायसवाल द्वारा ऑनलाईन मानचित्र सं0- द्वारा बी0जी02 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी0जी04 तलों का निर्माण कार्य सेट बैंक को कवर करते हुये निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रशन्गत निर्माण को आज दिनांक-07/05/2025 को सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया ।वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत अरुण तिवारी द्वारा लगभग 30.0 ग 55 वर्गफीट में बी0जी02 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी0जी04 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रशन्गत निर्माण को आज दिनांक-07/05/2025 को सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया ।वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत मोहित जिबोध पाल पुत्र जिबोध पाल द्वारा ऑनलाईन मानचित्र स्टिल्ट03 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी0जी02 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रशन्गत निर्माण को आज दिनांक-07/05/2025 को सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 08.05.2025

वीडीए ने सील किए कई अवैध निर्माण

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में बुधवार को भी कई अवैध निर्माणों के खिलाफ सील की कार्रवाई की गयी। फिलहाल प्रवर्तन टीम ने सील किये गये भवनों व निर्माणों को स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया।

जोन-एक सिकरौल वार्ड में कुल तीन अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। बुद्ध विहार कालोनी, कैंटोमेंट के अंतर्गत विकास जायसवाल ने बी+जी+2 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+4 तलों का निर्माण कार्य सेट बैक को कवर करते हुये किया था जिस पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता की तरफ से नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिससे प्रश्नगत निर्माण को सील कर संबंधित थाने के अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसी प्रकार बुद्ध विहार कालोनी, कैंटोमेंट के अंतर्गत अरुण तिवारी की तरफ से बी+जी+2 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+4 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता ने नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे निर्माण को सील कर संबंधित थाने के अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं बुद्ध विहार कालोनी, कैंटोमेंट के अंतर्गत मोहित जिबोध पाल की तरफ से ऑनलाईन मानचित्र स्टिल्ट+3 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+2 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता की तरफ से नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया जिस पर निर्माण को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।वहीं दूसरी तरफ जोन-तीन वार्ड-दशाश्वमेध में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। दशाश्वमेध, मदनपुरा के अंतर्गत ओनैदुल रहमान, अबुताहिर, अहमद साबिर की तरफ से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जी+5 तालों का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माण को सील किया गया। इसी प्रकार जोन-दो, वार्ड- सारनाथ, के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। वार्ड सारनाथ के अंतर्गत अभिषेक मौर्या, मौजा-रमदत्तपुर, ओम नगर कॉलोनी, लेन नं. चार लालपुर में (जी+2) निर्माण पूर्ण करके फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर दिया गया तथा संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।